

anvu. from me Plan Man onwards, special THE DEPUTY CHAIRMAN. O.K. I
programmes have been taken up for the welfare accept association of all of you.

of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. In
all the three successive Plans i.e. the Sixth, the
Seventh and the Eighth, the Planning
Commission had fixed up the guidelines that
funds should be allocated in proportion to the
population of the Scheduled Castes and
Scheduled Tribes. And those amounts should
be earmarked and spent separately for the
welfare of the people of these classes.

Madam, the ground realities are totally
different. In all these Plans, even in the Eighth
Plan, not even 50 per cent of the funds have
been allocated for the welfare of the people
belonging to these sections under the Special
Component and Tribal Sub-Plans. Whatever is
allocated, not even 50 per cent is spent. On one
side there is a hue and cry on how much
money is to be spent on these people and for
how long. People are questioning this. On the
other side, not even 50 per cent of the funds
which have been allocated are being spent.
There is no monitoring on the expenditure of
the funds. Even the Planning process requires
an active participation of the people of these
sections. So, I urge upon the Government to
see that the people's representatives from
amongst these sections, who have suffered real
poverty and untouchability and who have
known the difficulties of these people, should
be represented. Madam, yesterday in a meeting
of the MPs of the Scheduled Castes, hon.
Prime Minister was positive for this demand
and he has said that the Government is thinking
on these lines. So, I urge upon the Government
to see that before the Ninth Plan is finalised, a
man representing the Scheduled Castes and
Scheduled Tribes people is inducted into the
Planning Commission.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have a
problem. Somebody, who has got an
appointment, wants to speak.

SHRI GOVINDRAM MIRI: Madam, I want
to associate myself. (*Interruptions*)

श्री गोविन्दराम मिरी: मैं श्री बंगरू लक्ष्मण जी ने
जो कहा है उससे अपने का असोसिएट करता हूँ।
महोदया, आज इस बात का प्रचार ज्यादा हो रहा है...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have put
your name also in association.

श्री गोविन्दराम मिरी: मेरा अनुरोध है कि उनकी
मांग पूरी की जाए।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Somebody
has to go. Mr. Wasim Ahmed wants to
speak first, because he has to go
so पहले उनको बोलने दिया जाये ताकि वे जा सकें।
business at one o'clock.

पहले उनको बोलने दिया जाये ताकि वे जा सकें।
RE: THREAT BY MUMBAI POLITICIAN
TO BURN OFFICE OF DAILY,
"MAHANAGAR"

श्री वसीम अहमद (उत्तर प्रदेश): मैडम चेरस्पर्सन,
मैं आपके हवाले से इस हउस को बताना चाहता हूँ कि
फिखली 13, 14, 15 और 16 तारीखों को शिव सेना के
वरकर्स ने, उनके एम-एल-एज ने महाराष्ट्र के अंदर
"महानगर" अखबार जो शाम को निकलता है, उस
अखबार पर हमले किए हैं। ... (व्यवधान) ...

श्री राजनाथ सिंह (उत्तर प्रदेश): यह स्टेट इश्यू
है। ... (व्यवधान) ...

उपसभापति: स्टेट इश्यू उठाते हैं ऐसा कहेंगे तो
फिर आपके सारे इश्यू मैं बंद कर दूंगी।
... (व्यवधान) ... इसमें झगड़ा करने की बात नहीं है।

श्री वसीम अहमद: मेरे पास टाइम्स आफ
इंडिया, जनसत्ता और महानगर की कटिंग्स हैं।
... (व्यवधान) ... मैडम, मैं आपके हवाले से बताना
चाहता हूँ कि शिवसेना का यह पहला हमला नहीं है,
शिव सेना के नेता * के कहने से.....
Expunged, as ordered by the Chair.

उपसभापति: यहाँ यह कायदा है कि उनका नाम
नहीं लेते जो लोग यहाँ पर नहीं हैं। इसलिए आप नाम
मत लीजिए। ... (व्यवधान) ...

श्री गोविन्दराम थिरी: जो यहां पर नहीं है उनका नाम नहीं ले सकते। यह रिकार्ड से निकाल दिया जाए।
... (व्यवधान) ...

उपसभापति: यहां का कायदा है कि यहां पर हम अखबार का नाम ले सकते हैं, किसी पोलिटिकल पार्टी का नाम ले सकते हैं। लेकिन उस व्यक्ति का नाम नहीं ले सकते जो यहां नहीं है।

श्री वसीम अहमद: सामना के एडिटर का नाम ले सकता हूँ (व्यवधान) भगर मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ (व्यवधान)

उपसभापति: वे तो यहां बैठे हैं (व्यवधान)

श्री वसीम अहमद: सामना के एडिटर ने हमला करवाया महानगर के एडिटर पर और वहां के स्टाफ पर। महानगर की सिर्फ गलती इतनी है कि उसने खेरनार के पांच हजार के मजमें में जो बयान खेरनार साहब ने दिया था उसको महानगर ने हवाहूँ छपा था (व्यवधान) सवाल यह नहीं है, सवाल है फ्रीडम आफ प्रेस का (व्यवधान) शिव सेना के लोग ... (व्यवधान)

श्री संजय निरुपम (महाराष्ट्र): माननीय सदस्य से मैं पूछना चाहता हूँ (व्यवधान)

श्री वसीम अहमद: यहां जो शिव सेना के लोगों को वहां पर एकस्ट्रा कॉन्स्टीट्यूशनल हैमियत मिली है, यह कब तक मिलती रहेगी (व्यवधान)

श्री संजय निरुपम: मुझे पहले बोलने दिया जाए (व्यवधान)

उपसभापति: चेयरमैन साहब ने उनको परमिशन दी है। (व्यवधान) जब परमिशन दी है तो वह बोल सकते हैं (व्यवधान)

श्री वसीम अहमद: यह हमले कब तक होते रहेंगे (व्यवधान) मेरी यह भांग है (व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, No. If you say that law and order is a State subject, then none of you can open your mouth in this House. (Interruptions) This matter has been reported in the newspapers. So, let him raise it. What is there? We raise so many issues which are controversial. It is all right. The Chairman has permitted him. Let him finish, first. (Interruptions) Let him finish.

SHRI MD. SALIM (West Bengal): Madam, it is a question of the freedom of speech. (Interruptions)

श्री संजय निरुपम: इस विषय पर मैं बोलूंगा (व्यवधान)

उपसभापति: उनको पूरा तो कर लेने दो (व्यवधान)

श्री वसीम अहमद: मेरी मांग है कि शिव सेना के प्रमुख को गिरफ्तार किया जाए (व्यवधान) उनकी प्रोपर्टी की जांच की जाए (व्यवधान)

श्री संजय निरुपम: महानगर जैसे अखबार को बंद कर दिया जाए (व्यवधान)

श्री वसीम अहमद: उनकी प्रोपर्टी की जांच की जाए, यह मेरी मांग है (व्यवधान) उनकी सरकार को बर्खास्त किया जाए, यह मैं मांग करता हूँ (व्यवधान)

श्री संजय निरुपम: कोई सवाल नहीं होता है (व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम: आप कौन होते हैं यह कहने वाले कि कौन सा अखबार बंद कर दिया जाए (व्यवधान)

श्री वसीम अहमद: यह हमला कई बार हो चुका है (व्यवधान) इस अखबार की गलती सिर्फ इतनी है कि वह इन जैसी फासिस्ट फोर्सिज़ को नंगा करना चाहता है हिन्दुस्तान के आवाज के सामने (व्यवधान) यह अखबार उनको नंगा करना चाहता है (व्यवधान) इनकी सारी करतूतों को खोलना चाहता है (व्यवधान) यही वजह है बार-बार हमला हो रहा है (व्यवधान) सरकार की ड्यूटी है (व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम: आप वहां गुंडों को भेज कर हमला करना चाहेंगे (व्यवधान)

श्री वसीम अहमद: यही वजह है कि मेरी मांग है कि ऐसे लोगों को सलाखों में बंद करना चाहिये (व्यवधान) 6 दिसम्बर, 1993 के दंगों में इन्होंने मासूम लोगों को, बेगुनाह लोगों को मारा (व्यवधान) यही वजह है कि महाराष्ट्र के अन्दर इनका विरोध हो रहा है (व्यवधान)

श्री संजय निरुपम: आपके विरोध से क्या होता है? (व्यवधान)

श्री वसीम अहमद: आपका विरोध तो पूरा देश कर रहा है (व्यवधान) यही वजह है (व्यवधान)

उपसभापति: बैठिये (व्यवधान) देखिये, आप बैठिये (व्यवधान)

श्री संजय निरुपम: मैं भी बोलना चाहता हूँ
(व्यवधान)

उपसभापति: आप कैसे बोलेंगे, आपको इजाज़त
नहीं है (व्यवधान) बैठिये (व्यवधान)

Please sit down. (Interruptions) Mr. Nirupam, please take your seat. (Interruptions) Mr. Nirupam, please take your seat. (Interruptions) You just sit down. (Interruptions) Let me tell him the procedure. The hon. Chairman has permitted him. Okay. He has a right to speak. Many Members make their viewpoints in this House. It is quite natural that some of the hon. Members may not like it. But the Parliamentary Democracy means that you should have tolerance. Whatever you say, somebody from this side of the House or that side of the House may not like it. But that is a different matter. But then you should have tolerance. (Interruptions) Just one second, please. It is not for you to decide as to what is right and what is wrong.

It is for him to say what he wants to say. If you want to say something, you take permission and say. Let the people decide what is right and what is wrong. Let the Members decide what is right and what is wrong. The House has divergent opinions. There are Members of Parliament belonging to different political parties. If you are not allowing the Members to speak in the House, where are they going to speak? On the streets? Let them speak. It is much better. (Interruptions)...

श्री संजय निरुपम: मेरे कहने का मतलब सिर्फ
इतना है कि अगर इस घटना की ... (व्यवधान)

उपसभापति: आपके कहने का मतलब
... (व्यवधान)

श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार): ...उनकी भारी पिटाई
हुई ... (व्यवधान)

एक मिनट ... (व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Order, please. Just one minute. (Interruptions)... Just one minute. (Interruptions)... Just one minute. (Interruptions)...

श्री संजय निरुपम: ये गलत इन्फारमेशन दे रहे हैं
... (व्यवधान) यह गलत बात है ... (व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Just one minute. (Interruptions)... Please sit down. (Interruptions)... Please sit down. (Interruptions)... Please take your seat. (Interruptions)... Just one minute. (Interruptions)... I said, "Please sit down." Please take your seat. (Interruptions)... Please take your seat. (Interruptions)... Please take your seat. (Interruptions)...! request you to take your seat. This is how democracy works in this country. This is how the Parliament works. You may not agree with this democracy. But you have taken an oath to be a Member of this House. So, you have to function according to your own oath. He is talking about a newspaper. Everyday Members talk about the reports in newspapers. Nobody gets so agitated. Why should you get so agitated? Let him make his point. If you want to raise a point, you have your right to raise a point. There is no point in fighting over it.

शांति से सुनिष्। आप अपनी बात खत्म करके
जाइए, आपको जल्दी जाना था।

श्री वसीम अहमद: मैडम शुक्रिया आफ्का! आपको
खुद पता है कि पिछले तीन दिन से मैं नहीं चाहता था
कि कोई ऐसी चीज करूँ। मैंने आपसे तीन दिन पहले भी
कहा था। मैंने नोटिस नहीं दिया। कल मेरी बदकिस्मती
थी कि जोरो आवर नहीं हुआ और मैं अपने दोस्त जो
एक अखबार के एडिटर हैं, अगर उन पर कोई अटैक
करेगा तो मैं इस हाउस में इसी तरीके से उनके सपोर्ट में
आवाज उठाऊँगा ... (व्यवधान) मैं उन लोगों में से नहीं
हूँ (व्यवधान)

श्री संजय निरुपम: ...मैं अपनी रक्षा खुद कर
सकता हूँ... (व्यवधान)

श्री नीलोत्पल बसु (पश्चिम बंगाल): ... बैठ
जाओ... (व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Okay. If he doesn't need anybody's protection, don't offer your free protection to him. (Interruptions)... All right I will protect everybody. (Interruptions)...

उनका बोलने दीजिए ... (व्यवधान) ... आप बैठिए ...

SHRI MD. SALIM: Why is he objecting to it? (Interruptions)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. (Interruptions)... Please sit down. (Interruptions)...

SHRI NILOTPAL BASU: What is this. Madam? (Interruptions)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: If he doesn't want your protection, don't give it to him. You speak whatever you want to speak. All right. Don't interrupt him. (Interruptions)...

SHRIMATI KAMLA SINHA: He has said something very objectionable, Madam. He has said that papers like MAHANAGAR should be wiped out. (Interruptions)...

SHRI NILOTPAL BASU: What is this. Madam? (Interruptions)...

उपसभापति: अभी उनको बोलने दीजिए। आप बैठिए ... (व्यवधान)

SHRI NILOTPAL BASU: There is the Leader of the Opposition. (Interruptions)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will look into the records and see whether there is anything objectionable. (Interruptions)...

श्री वसीम अहमद: मैडम, मुझे अफसोस है कि मैं बार बार आपको कहना मान रहा हूँ, पूरा हाउस आपको कहना मान रहा है मगर एक मेम्बर आपको कहना नहीं मान रहे हैं। यह मुझे निहायत अफसोस है। मैं कंडेन कर रहा हूँ। पूरा हाउस आपको कहना मान रहा है। जब आप कहती हैं मैं बैठ जाता हूँ और जब आप कहती हैं मैं उठ जाता हूँ ... (व्यवधान)

उपसभापति: बैठिए ... (व्यवधान) इस हाउस में बहुत दफा ऐसे बैठस उठे हैं ... (व्यवधान) आप भी बैठिए ... (व्यवधान) किसी भी अखबार के ऊपर अगर किसी ने अटैक किया है तो यहाँ इस हाउस में मैटर्स उठाए जाते हैं। अखबार की फ्रीडम के हम लोग सब साक्षी हैं और चाहते हैं कि फ्रीडम आफ प्रेस भी हो और फ्रीडम आफ स्पीच भी हो। तो यह कम से कम हमारी डेप्युटि क्लेक सिस्टम की मदद तो करना चाहिए।

आप मगर अपनी बात कहिए। ... (व्यवधान) आप बैठिए। ... (व्यवधान)

Mr. Jibon Roy, I have not allowed you. (Interruptions).

श्री संजय निरुपम: मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या यह काशीराम के खिलाफ भी ... (व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have not allowed you to speak.

उपसभापति: आपको मैंने परमिशन नहीं दी है।

Please व्यवधान मत डालिए। sit down. (Interruptions). आप

श्री संजय निरुपम: मुझे काशीराम का ... (व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN: What has Shri Kanshi Ram got to do with this? (Interruptions). Please sit down. (Interruptions). Please don't disturb. Shri Kanshi Ram is an hon. Member of the other House. I have ... (Interruptions). Please keep quiet. I don't want anybody to interrupt. I want him to know the rule. He is a new Member. Perhaps, he does not know the rules. I will let you know the rule. Shri Kanshi Ram is an hon. Member of the other House. Please don't take his name in any respect. Don't bring other things. What you wanted to speak, that is also not brought on the record. The Chairman gave him permission. That is why he is allowed to speak. You cannot object to the Chairman's permission. You please sit down peacefully and listen to him. He never said anything which is objectionable. He is speaking about 'Mahanagar' which is a registered newspaper. He is talking about the newspaper. Let him speak and finish.

श्री वसीम अहमद: मैडम, मैं यह बात इसलिए कहना चाहता था कि चार दिन तक वहाँ हमला होता रहे और पुलिस छोड़े होकर देखती रहे। यह पुलिस की ड्यूटी है, यह सरकार की ड्यूटी है, उसको बचाने की कोशिश करे ... (व्यवधान)

SHRI VAYALAR RAVI (Kerala): Madam, I beg to move a resolution ... (Interruptions).

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. (Interruptions).

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): This is too much. (Interruptions).

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. (Interruptions). You are not the first Shiv Sena Member in this House. I must remind you. There have been other Members also. Nobody ever behaved like this. I am not losing my temper. I am not using my power which the Constitution gives me, which you all have given me. I am using my utmost patience to tell you to please sit down and don't interrupt. How many times should I say it? You tell me. I will repeat it that many times. please don't interrupt.

कृपया आप बीच में मत बोलिए। अगर आपको कुछ बोलना है तो परमिशन लेकर बोलिए। अगर इस तरह से मेंबर को इंटरप्ट करने की हमारी परम्परा नहीं है। अगर उन्होंने कोई अन-पार्लियामेंट्री बात कही है तो मैं उनको खुद न बोल दूंगी और सब को न बोल दूंगी। अगर जिस तरह से नहीं करना अच्छा लगता है... (व्यवधान) ताली बजाने की आवश्यकता नहीं है, मैंने तो खाली रूल बताया है। ताली तो आप अपने लिए बजाएं कि आपने ऐसा रूल बनाया है।

श्री वसीम अहमद: मैडम, मैं यह कह रहा था और मैं इस हाऊस का श्रुतिक्रिया अदा करता हूँ कि... (व्यवधान)

उपसभापति: जल्दी खत्म करिएगा।

श्री वसीम अहमद: मैं जल्दी खत्म कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब यह है कि चार दिन तक हमला होता रहे, वहाँ पुलिस खड़े होकर देखती रहे और वहाँ पर बार-बार हमला होता रहा और वहाँ के वर्कर्स तथा जो वहाँ पर अखबार स्टाल पर बिकने जाएं उसको रोकने का भी काम करें, उस पर हमला भी करें, यानी उसको बेचने भी न दें और उसके एडिटर को एक बार नहीं उस पर यह तीसरा और चौथा हमला हुआ। यह पहली हारकत नहीं हुई है। जब-जब देखिए, जहाँ-जहाँ देखिए यह क्या वजह है कि क्या इनको कोई एक्स्ट्रा-कांस्टीट्यूशनल पावर मिली हुई है, क्या यह मुल्क का अलग हिस्सा है वहाँ यह जो चाहें कहें, जो इनका दिल चाहे मेगजीन में कहें और इस मुल्क में उन पर कोई एक्शन नहीं होता। मैं दरखास्त करता हूँ इस हाऊस से और सरकार से कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए और सरकार को हटाया जाए और उनकी प्रोपर्टी के खिलाफ सीबीआई

की इन्वैस्टिगेशन कराई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी इस मुल्क के सामने आ सके और जो अजाम शांति पसंद है वह अपना फैसला कर सके और मैं अपनी बात कह कर यहाँ समाप्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।... (व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN: No more association. I am not allowing.

If you what to say something, take my permission and say it peacefully. You are a Member of this House and you have a right to speak.

श्री संजय निरुपम: मैडम, मैं माननीय सदस्य और पूरे सदन को यह सूचना देना चाहता हूँ कि थाणे की जिस मीटिंग की चर्चा की जा रही है, उस मीटिंग में 5 हजार नहीं बल्कि 5 सौ से 7 सौ के बीच लोग थे। श्री खेरनार, जिन का पूरा नाम गोविंद राधो खेरनार है, वह मुंबई मन्स के निलंबित उपायुक्त हैं। उन्होंने वहाँ मीटिंग में भाषण दिया और उन के भाषण का सिर्फ एक टॉर्गेट था कि हमारे शिव सेना प्रमुख पर अटैक करना। मैडम, उन के बारे में ऐसी जानकारी दी गयी है और ऐसा आरोप लगाया गया है जिसका उल्लेख मैं इस सदन में नहीं कर सकता। वह अनपार्लियामेंट्री लेक्चर है, इसलिए मैं उस शब्द का प्रयोग यहाँ नहीं करना चाह रहा हूँ। अब 'महानगर' ने क्या किया? खेरनार के उस बयान को हैडलाइन बनाकर अखबार में छापा। उस खबर को पढ़ने के बाद, उस हैडलाइन को पढ़ने के बाद हमारी शिव सेना की कुछ महिलाएं खेरनार के यहाँ गयीं और उन्होंने कहा कि आप ने जो कुछ कहा है, वह एकदम निराधार है। हम खुद महिलाएं हैं और आप ने साहब का नाम महिलाओं से जोड़ा है। हम साहब को पिछले 20 सालों से जानते हैं जबकि आप इतने समय से नहीं जानते होंगे तो आप के कहने का क्या आधार है? मैडम, इस का जवाब देने के बजाय खेरनार की पत्नी ने उन महिलाओं के ऊपर गिरास फेंका और फिर महिलाओं ने उन के साथ मारपीट की।

मैडम, दूसरी बात इन्होंने कही कि किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया और मुंबई पुलिस वहाँ खड़ी थी। ऐसा कुछ नहीं है। मुंबई पुलिस ने 25 महिलाओं को गिरफ्तार किया है और हमारे माननीय सहयोगी सदस्य श्री आदिक शिरोडकर जोकि वहाँ के एडवोकेट हैं,

should not go out. र को A wrong message तो सरकार ने जो एक्शन लेना है, मुंबई पुलिस को जो एक्शन लेना है, वह मुंबई पुलिस ले रही है। जहां तक बाला साहब जी को गिरफ्तार करने की बात है, मैं बोलूंगा कि उस से पहले "महानगर" जैसे अखबार को बंद करना चाहिए। वह इसलिए कि एक अखबार का काम करने का जो तरीका होता है, उस को जो नीति होती है, उस नीति का वह अखबार पालन नहीं करता है। उस अखबार के एडिटर का एक ही मकसद होता है कि किसी तरह शिव सेना को डैमेज किया जाए। शिव सेना प्रमुख के ऊपर ऊल-जलूल आरोप लगाए जाएं। मैडम, ऐसे आरोप कभी उन्होंने राजीव गांधी की पत्नी श्रीमती सोनिया गांधी के ऊपर भी लगाये थे और उस के बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी। अब इसी तरह का आरोप उन्होंने हमारे माननीय शिव सेना प्रमुख बाला साहब के ऊपर लगाया है। धन्यवाद।

उपसभापति: अब यही बात आप शांति से कहते तो इतना झगड़ा नहीं होता और हाउस का समय भी जाया नहीं होता ... (ब्यवधान) ... अखबार बंद किया जाए, खोला जाए, यह काम हमारा नहीं है और न ही इस पर कुछ डिस्कशन होगा। ... (ब्यवधान) ...

श्री मोहम्मद सलीम:

कोई अखबार अगर गलत खबर छापता है तो उस के लिए भी हमारे संविधान में, कानून में कुछ बंदोबस्त है। उस का मतलब यह नहीं है कि उस पर हमला करें। हाउस में यह बात होती है तो गलत मैसेज जाता है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: That is exactly what I am saying. To decide whether a newspaper should be permitted or should not be permitted, we have a procedure in this country. If a newspaper makes a wrong statement, you have a lawyer who is a Member of your party and he will support you and me too. There is a procedure laid down for it. You do not have to fight the editor. आपके अखबार से कुछ खबर आती तो आप के अखबार से भी सब लोग सहते। तो आप भी अखबार के एडिटर हैं और उस का जो एक प्रोसेडर है वह एप्लाइ करना चाहिए। चौधरी चुन्नी लाल।

श्री सलीम अहमद: मैडम, एक बात...

उपसभापति: अब कोई बात नहीं। यह मामला खत्म हो गया। सलीम साहब आपको कहीं जाना था? अब आप जाएं। मैं ने आप का एपॉइंटमेंट याद दिलाया।

चौधरी चुन्नी लाल (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में प्राइमरी पाठशालाओं के लगभग 5 लाख शिक्षक हैं। गत वर्ष पूरे प्रदेश में लगभग 25 हजार शिक्षकों का चयन हुआ और नियुक्तियां हुईं। ये नियुक्तियां फरवरी, 1996 तक पूरी कर ली गयीं, लेकिन फरवरी से आज तक इन 25 हजार शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है और ये भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। महोदय, इन 25 हजार शिक्षकों में लगभग 6 हजार शिक्षक दलित वर्ग के हैं जिन के पास एक बीघा भी खेती योग्य भूमि नहीं है और कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी उनकी और उन के बच्चों की जीविका की नहीं है। जून, 1995 में जो शिक्षक रिटायर हो गए हैं, उनको रिटायर हुए डेढ़ साल हो गया, लेकिन उनको पेंशन भी नहीं मिल रही है। इसी तरह इनका जी०पी०एफ० भी वधों से कटता आ रहा है, जिसका कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ पिछले 6 माह से उत्तर प्रदेश सरकार को प्रतिवेदन देती आ रही है, मगर आज तक उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके प्रतिवेदन का न तो निस्तारण किया और न ही उनकी समस्याओं का कोई हल निकाला है।

मैडम, शीघ्र ही त्वौहार आ रहे हैं और अगर यही स्थिति बनी रही तो उनके बच्चे त्वौहार भी नहीं मना पाएंगे। अतः मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अपील करता हूँ कि शीघ्रतः शीघ्र इन शिक्षकगण की, जो अल्प-वेतन भोगी हैं, उनकी इन समस्याओं को हल कराएँ, अति कृपा होगी। धन्यवाद।

RE: KILLING OF FIVE
DALIT PERSONS OF A FAMILY IN
BHOJPUR BIHAR

श्री जत्पालुद्दीन अंसारी (बिहार): मैडम, बिहार के भोजपुर जिला में खनेट ग्रंव दलितों का एक छोटा सा टोला है, जिसको कहते हैं मुसेहद टोला, इसमें हमारे राज्य के मुसेहद जाति के लोग, जो सबसे गरीब दलित हैं, हरिजन हैं, वह रहते हैं। उस खनेट टोला पर 12 तारीख की रात को एक हथियारबंद गिरोह आया और वहां उन गरीबों को गोलियों से मून डाला, जिसमें दो